

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 72 / 2019

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कृषि उपज मण्डी भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
.....प्रार्थी सिक्क्योर क्रेडिटर

**बनाम**

मै0 अजय नागर एण्ड संस प्रो0 अजय नागर पुत्र श्री छुटन लाल निवासी  
नाहरगंज मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी / ऋणी

**सिक्क्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के  
अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र।**

**आदेश**

**दिनांक 03.09.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 03.05.2013 को प्रार्थी बैंक से 4,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ अप्रार्थी ने मै0 अजय नागर एण्ड संस प्रो0 अजय नागर पुत्र श्री छुटन लाल निवासी नाहरगंज वार्ड नं0 9 मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर को प्रार्थी बैंक हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 09.04.2019 तक 476010/- रुपये ब्याज एवं

अन्य खर्चे अप्रार्थी/ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 09.04.2019 को अप्रार्थी ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 09.04.2019 अप्रार्थी मै0 अजय नागर एण्ड संस प्रो0 अजय नागर पुत्र श्री छुट्टन लाल निवासी नाहरगंज वार्ड नं0 9 मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थी पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का

कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो आवासीय प्लॉट न. 9 नाहरगंज मौहल्ला कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है जिसके हदूद अरबा हैं- पूर्व में- प्रोपर्टी चन्द्रभान की , पश्चिम - में प्रापर्टी प्रेम नागर की, उत्तर में- प्रापर्टी डालचंद की, तथा दक्षिण में- इस ओर रोड़ है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( डॉ. आरुषी मलिक )  
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,  
भरतपुर